सूक्ष्म ऋण योजना प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

बिहान

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रशिक्षण समय सारणी	3–4
2	पंजीयन, प्रार्थना एवं परिचय	5
3	प्रशिक्षण का उद्देश्य	6
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य एवं मूलभूत सिद्धांत	7
5	सूक्ष्म ऋण योजना	8–9
6	स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना से लाभ	10
7	सूक्ष्म ऋण योजना हेतु स्वयं सहायता समूह चयन की पात्रता	11
8	सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने की प्रक्रिया	12
9	स्वयं सहायता समूह हेतु सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप	13–14
10	स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी	15–16
11	समूह सदस्यों की सामाजिक जानकारी	17–18
12	सदस्यों के व्यक्तिगत आय व्यय का विवरण	19–20
13	समूह सदस्यों की ऋण योजना	21–22
14	स्व सहायता समूहों हेतु मूल्यांकन प्रपत्र	23–24
15	मूल्यांकन समीति द्वारा आवेदन का परीक्षण	25
16	अनुबंध प्रपत्र	26–27
17	एम.सी.पी. मास्टर ट्रेनर हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	28
18	सूक्ष्म ऋण योजना बनाते समय अपनाये जाने वाली सावधानियां	29
19	सूक्ष्म ऋण योजना का प्रस्तुतिकरण, पुनरावलोकन एवं मूल्यांकन।	30
20	प्रशिक्षण आंकलन प्रपत्र (फिडबैक फार्म)	31–32
21	आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री	33

सूक्ष्म ऋण योजना
प्रशिक्षण समय सारणी

प्रशिक्षण का दिन	सत्र	समय	विषयवस्तु	प्रशिक्षण विधि
प्रथम दिवस	सत्र 1	10.00 से 10.30	पंजियन, प्रार्थना एवं परिचय	खेल, पंजीयन प्रपत्र
	सत्र 2	10.30 से 11.00	प्रशिक्षण की अपेक्षायें एवं उद्देश्य	सहभागी चर्चा
	सत्र 3	11.00 से 11.45	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य एवं सिद्धांत	व्याख्यान एवं चर्चा
	सत्र 4	11.45 से 01.15	सूक्ष्म ऋण योजना क्या ?	ब्रेनस्टार्मिंग, सहभागी चर्चा
	सत्र 5	01.15 से 02.00	सूक्ष्म ऋण योजना क्यों ?	सहभागी चर्चा , केस स्टडी
	02.00 से 03.00 भोजन अवकाश			
	सत्र 6	03.00 से 04.00	स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना से लाभ	सहभागी चर्चा , ब्रेनस्टार्मिंग
	सत्र 7	04.00 से 05.30	सूक्ष्म ऋण योजना हेतु स्वयं सहायता समूह चयन की पात्रता	सहभागी चर्चा , ब्रेनस्टार्मिंग
द्वितीय दिवस	सत्र 1	09.30 से 10.00	प्रथम दिवस के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन	खेल (घण्टी एवं गेंद)
	सत्र 2	10.00 से 12.00	सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने की प्रक्रिया	सहभागी चर्चा , ब्रेनस्टार्मिंग
	सत्र 3	12.00 से 01.00	सूक्ष्म ऋण योजना हेतु सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप	सहभागी चर्चा
	सत्र 4	01.00 से 02.00	स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी	सहभागी चर्चा
	02.00 से 03.00 भोजन अवकाश			
	सत्र 5	03.00 से 04.00	समूह सदस्यों की सामाजिक जानकारी	सहभागी चर्चा, रोल प्ले
	सत्र 6	04.00 से 05.00	सदस्यों के व्यक्तिगत आय व्यय का विवरण	सहभागी चर्चा
	सत्र 7	05.00 से 05.30	समूह सदस्यों की ऋण योजना	सहभागी चर्चा
तृतीय दिवस	सत्र 1	09.30 से 10.30	द्वितीय दिवस के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन	खेल
	सत्र 2	10.30. से 12.00	स्व सहायता समूहों हेतु	सहभागी चर्चा

			मुल्यांकन प्रपत्र	
	सत्र 3	12.00 से 01.00	मूल्यांकन समीति द्वारा समूह आवेदन का परीक्षण	सहभागी चर्चा, अभ्यास
	सत्र 4	01.00 से 02.00	अनुबंध प्रपत्र	सहभागी चर्चा
	02.00 से 03.00 भोजन विराम			
	सत्र 5	03.00 से 03.45	एम.सी.पी. मास्टर ट्रेनर हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	सहभागी चर्चा
	सत्र 6	03.45 से 04.30	सूक्ष्म ऋण योजना बनाते समय अपनाये जाने वाली सावधानियां	सहभागी चर्चा
	सत्र 7	04.30 से 06.00	पुनरावलोकन एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु टीम विभाजन	सहभागी चर्चा
चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस एंव षष्ठम दिवस तक	सभी प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित कर प्रत्येक समूह द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर एक-एक एम.सी.पी. तैयार किया जाएगा।			
सप्तम दिवस	समस्त समूहों द्वारा तैयार किये गये एम.सी.पी. का प्रस्तुतीकरण एवं प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किये गये सूक्ष्म ऋण योजना हेतु आवश्यक सुझाव			
	सत्र	04.30 से 05.00	मूल्यांकन एवं समापन	सहभागी चर्चा

प्रथम दिवस

प्रथम सत्र

विषय :— पंजीयन, प्रार्थना एवं परिचय।
उद्देश्य :— सत्र के अन्त मे प्रतिभागी एक दुसरे को पहचान जायेगे एवं प्रशिक्षण मे उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज हो जायेगी।
सामग्री :— स्टेशनरी, पंजीयन प्रपत्र।
पद्धति :— खेल, भाषण।

1. प्रशिक्षण पंजीयन प्रपत्र :—

क्र..	नाम	पद	स्थान	विकासखण्ड	जिला	हस्ताक्षर						
						दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक

2. प्रार्थना :— प्रशिक्षक को प्रार्थना (प्रकाशमय जीवन को विश्वास) के साथ प्रशिक्षण को प्रारंभ करना चाहिए।
3. परिचय :— इस सत्र मे सभी प्रतिभागियो को दो—दो के जोड़े मे विभाजित कर, उन्हें एक दूसरे का परिचय देने को कहा जाये जैसे :— नाम, पता, शिक्षा, कार्य/व्यवसाय, पसंद आदि।

द्वितीय सत्र

विषय	:–	प्रशिक्षण का उद्देश्य।
उद्देश्य	:–	इस सत्र मे प्रतिभागी प्रशिक्षण के उददेश्यो को समझ सकेंगे।
सामग्री	:–	कार्डशीट एवं मार्कर।
पद्धति	:–	खुली चर्चा।

प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य हैः–

प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से अपेक्षाओं को जानने के लिए उन्हें फ्लैश कार्ड एवं मार्कर देकर अपनी अपेक्षाओं को उस पर लिखने के लिए अनुरोध करें। प्रतिभागियों के फ्लैश कार्ड लिखे जाने के बाद एकत्र कर उन्हें समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर श्रेणीबद्ध करते हुए दीवार/व्हाईट बोर्ड पर चिपकाऐं। प्रशिक्षक द्वारा विश्लेषण करते हुए प्रकृति के आधार पर विभाजित करते हुए चार्ट पेपर पर सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण कक्ष के दीवार पर चिपका दिया जाए। इससे प्रशिक्षण के उद्देश्य सभी को सुस्पष्ट एवं निर्धारित हो जाऐंगे। प्रशिक्षण के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हो सकते हैं :–

1. वित्तीय संस्थाओ से ऋण लेने हेतु सूक्ष्म ऋण योजना की आवश्यकता की समझ विकसित करना।
2. समूह के सदस्यो की सूक्ष्म ऋण योजना बनाने की प्रकिया के सात चरण की समझ विकसित करना।
3. समूह के सदस्यो की आय–व्यय के आधार पर व्यक्तिगत आवश्यकता का आंकलन कर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की समझ विकसित करना ।
4. सदस्यो की आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण करना।
5. आय उपार्जक गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वन करना।
6. सम्भावित आय स्त्रोत के आधार पर ऋण वापसी की कार्य योजना तैयार करना।

तृतीय सत्र

विषय	:–	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियो मे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यो एवं सिद्धांत पर समझ विकसित होगी।
सामग्री	:–	कार्ड शीट, मार्कर।
पद्धति	:–	व्याख्यान एवं समूह चर्चा।

मिशन के उद्देश्य :– ''बिहान'' का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुढ़ढीकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है, परंतु इसके अलावा कुछ सहायक उद्देश्य भी हैं जो कि निम्नलिखित है :–

- ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व–सहायता समूह से जुड़ने हेतु जागरूक करना।
- सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व–सहायता समूह में जोड़ना।
- गरीबों की सशक्त संस्थाओं का निर्माण एवं क्षमतावर्धन करनाः स्व–सहायता समूह एवं उच्च स्तरीय फेडरेशन/परिसंघ का निर्माण।
- वित्तीय समावेशन के माध्यम से सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना।
- गरीब परिवारों का क्षमता एवं कौशल विकास कर संवहनीय आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना।
- अभिसरण के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने एवं लाभ प्राप्ति हेतु अवसर उपलब्ध करवाना।

मिशन के मूलभूत सिद्धांत

1. गरीबों की ताकत पर विश्वास करना।
2. समाज के उपेक्षित/तिरस्कृत लोगों के प्रति सहानुभूति रखना।
3. ईमानदारी एवं संवेदनशील सहयोग।
4. समस्या के निराकरण में मदद करना एवं भ्रमित नहीं करना।

ध्यान देने योग्य बाते :–

1. सामुदायिक संस्था स्वंय अपनी योजना का निर्माण, क्रियान्वयन तथा निरीक्षण करेगें।
2. कार्यक्रम को गरीब, अतिगरीब, वंचित एवं उपेक्षित परिवारों के लिए कार्य करना है।
3. गरीब परिवारों की महिलाओं का सशक्तीकरण करना ताकि सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
4. सामुदायिक संस्था को इस प्रकार सहयोग प्रदान करना ताकि वे स्वंय सक्षम एवं आत्मनिर्भर बन सकें ।
5. शासन की समस्त योजनाओं में गरीब परिवरों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए ताकि वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
6. समाज के अंतिम छोर के गरीब/परिवार को ऊपर उठाने की नीयत होनी चाहिए।
7. कार्यक्रम में शामिल सभी मध्यस्थ कर्मचारी केवल सहयोग प्रदान करेगें।

चतुर्थ सत्र

विषय :– सूक्ष्म ऋण योजना क्या है?
उद्देश्य :– सत्र मे प्रतिभागियो मे सूक्ष्म ऋण योजना की समझ विकसित होगी।
सामग्री :– बोर्ड, चार्ट, मार्कर।
पद्धति :– ब्रेनस्टॉर्मिंग, सहभागी चर्चा।

इस सत्र मे प्रतिभागियो से योजना (प्लानिंग) की आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछा जाए ?

उदारहणतः

1 .खेती में फसल बुवाई करने के लिए आप क्या करते हो ?
2. घर मे किसी की शादी है तो आप क्या करते हो ?

प्रतिभागीयो से प्राप्त उत्तर को बोर्ड पर लिख कर योजना से जोडकर सूक्ष्म ऋण योजना की आवश्यकता को समझाना चाहिए।

विषय वस्तु :–

1. सूक्ष्म ऋण योजना एक प्रक्रिया आधारित दस्तावेज है जो कि परिवारो के साथ निरंतर चर्चा कर, स्वयं सहायता समूह के साथ मिल कर तैयार किया जावेगा।
2. स्वंय सहायता समूह के सदस्य द्वारा अपनी–अपनी पारिवारिक योजना तैयार किया जावेगा। समस्त व्यक्तिगत योजनाओ को मिलाकर समूह की सूक्ष्म ऋण योजना बनेगी।
3. सूक्ष्म ऋण योजना से आवश्यकता, आय बढ़ाने, स्वास्थ, शिक्षा, उपभोग, गृह एवं अन्य सामाजिक जरुरतो को पूरा करने मे सहायक सिद्ध होगी।

इस योजना के सात कदम हैं :–

1. स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी।
2. सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी।
3. परिवार के आय एवं व्यय की जानकारी।
4. सदस्यों द्वारा चयनित गतिविधि की लागत एवं भुगतान तालिका की जानकारी।
5. परिवारों को उनकी आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार सदस्यों की गतिविधि को प्राथमिकता मिलती है।
6. शेष सदस्यों को क्रमानुसार द्वितीय सूची तैयार कर ऋण दिया जाता है।
7. सूक्ष्म ऋण योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर करार किया जाता है, जो सदस्यों एवं स्व सहायता समूहों के मध्य, स्व–सहायता समूह और ग्राम संगठन के मध्य और ग्राम संगठन एवं क्लस्टर फेडरेशन के मध्य होता है।

सूक्ष्म ऋण योजना का निर्माण सदस्यो की अनुभव, कौशल तथा आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसकी जानकारी समूह के समस्त सदस्यो को होनी चाहिए। सूक्ष्म ऋण योजना सतही योजना है जो कि सदस्यों द्वारा बनाई या तैयार की जाती है।

पंचम सत्र

विषय	:–	सूक्ष्म ऋण योजना योजना की आवश्यकता
उद्देश्य	:–	सत्र मे प्रतिभागियो मे सूक्ष्म ऋण योजना की आवश्यकता पर समझ विकसित होगी।
सामग्री	:–	केस स्टडी, चार्ट एवं मार्कर।
पद्धति	:–	ब्रेनस्टॉर्मिंग, सहभागी चर्चा।

मां दंतेश्वरी स्वयं सहायता समूह, बस्तर जिले के ग्राम गोठिया मे संचालित है। इस समूह मे कुल 15 महिलाए सदस्य है, जो कि प्रतिमाह में 50 रु प्रति सदस्य बचत कर रहे है। चार साल से इस समूह के सदस्य नियमित बचत कर रहे। सदस्य अपनी बचत समूह के अध्यक्ष को जमा कर देते अध्यक्ष द्वारा बचत को बैंक मे जमा कर दिया जाता है, इस प्रकार इस समूह को 4 साल हो गये। समूह की कुल 36000 रुपये बचत बैंक मे जमा है। एक दिन बैंक के मैनेजर ने समूह के अध्यक्ष को बताया कि वह बैंक से ऋण ले सकते है। सभी सदस्यो ने बैंक से ऋण लेना चाहा। समूह को बैंक से 25000 रुपये का ऋण मिल गया। सभी सदस्यो ने प्राप्त ऋण को आपस मे बराबर–बराबर बाट लिया। इस प्रकार समूह के प्रत्येक सदस्य को लगभग 1670 रुपये ऋण के रुप मे मिला। समूह की एक सदस्य सुशीला बाई ने भी ऋण लिया। उस समय उसे ऋण की आवश्यकता नही थी, परन्तु सभी सदस्यो ने ऋण लिया तो उसे भी ऋण लेना पडा। उसने ऋण की राशि को घरेलु कार्य में खर्च कर दिया, जिससे उसे ऋण वापसी करने में कठिनाई हुई। उसने समूह से हटने की मंशा बनाई, जिससे समूह टूटने की स्थिति में आ गई।

प्रश्न :–

1. क्या समूह की बचत को बैंक मे ही जमा करते रहना चाहिए?
2. क्या समूह की बचत बैंक मे जमा होने पर भी बैंक से ऋण लेना चाहिए?
3. क्या ऋण को सभी सदस्यो को बराबर–बराबर बांट लेना चाहिए?

विषय वस्तु :–

1. गरीबो मे स्वयं की सहायता करने की दृढ इच्छाशक्ति और संभावना होती है।
2. उनमें परंपरागत ज्ञान, कौशल एवं अवसरों को पहचानने की क्षमता होती है, जिससे वे बेहतर जीवन यापन कर गरीबी से बाहर आ सकते हैं।
3. सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से समूह सदस्यों को उनके परिवार के साथ मिलकर पारिवारिक योजना बनाने का अवसर प्राप्त होगा।
4. सूक्ष्म ऋण योजना गरीबों को अपनी पूँजी का आकलन करने, उसके कौशल, अनुभव एवं स्थानीय संसाधनों के उपयोग से उसकी आय बढ़ानें के अवसर प्रदान करेगा।
5. सूक्ष्म स्तरीय योजना एक नियोजन बनाने की प्रक्रिया है जिसमें सदस्यों को सीधे भाग लेना एवं विभिन्न गतिविधियों का चयन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह स्वंय (परिवार) की योजना तैयार कर सकें।

षष्ठम सत्र

विषय	:–	स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना से लाभ।
उद्देश्य	:–	सत्र मे प्रतिभागियो मे सूक्ष्म ऋण योजना बनाने से होने वाले लाभ की समझ विकसित होगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा, व्याख्यान, उदाहरण।

विषय वस्तु :–

- सदस्य अपनी गतिविधि का चयन अपनी कौशल, उपलब्ध संसाधन एवं अनुभव के आधार पर कर सकेंगे।
- सदस्यों की सीधी भागीदारी अपनी गतिविधियों का चयन पारिवारिक स्तर पर होता है।
- यह सामूहिक रूप से तैयार की गई योजना है, जिसमें सभी गतिविधि का चयन उनके द्वारा किया जाता है। सदस्यों के वर्तमान आय एवं चयनित गतिविधि से संभावित आय के आधार पर ऋण वापसी योजना तैयार की जाती है।
- यह समूह के सदस्यों में सहभागी निर्णय लेने की भावना को बढावा देता है।
- एकता और सामूहिक जिम्मेदारी से सदस्यों के बीच में कार्य करने में सहायक होता है तथा लेन देन में पारदर्शिता बनता है।
- समूह के सदस्यो में निधि के लेन–देन की क्षमता तथा ऋण स्वीकृति की क्षमता का विकास होता है।
- सूक्ष्म ऋण योजना स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की योजनाओ के अनुसार ऋण की जरूरत को पूरा करता है।
- यह एक प्रकिया आधारित तकनीकी दस्तावेज है जो कि स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओ के साथ जैसे बैंक आदि से निधि संग्रहण हेतु मदद करता है।
- प्रथम चरण में अतिगरीब तथा बाद में अन्य गरीब सदस्यों को अवसर मिलता है।
- सूक्ष्म ऋण योजना से समूह की निधी बढेगी तथा सदस्यों को बारंबार ऋण मिलेगा, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकते है एवं गरीबी से बाहर आ सकेंगे।

सप्तम सत्र

विषय	:–	सूक्ष्म ऋण योजना के लिए समूह की चयन की पात्रता।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियो को सूक्ष्म ऋण योजना बनाने के लिए समूह के चयन के आधार की जानकारी होगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा, व्याख्यान।

विषय वस्तु :–

- स्वयं सहायता समूह में गरीब एवं समान सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले परिवार होना चाहिए।
- समूह द्वारा नियमित रूप से ग्यारह सूत्र का पालन करना चाहिए।
- कम से कम छः माह पुराना समूह होनी चाहिए।
- समूह द्वारा ग्राम संगठन में सदस्य के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। (ग्राम संगठन न होने की स्थिति में सीधे समूह को विकासखंड से भी एमसीपी के आधार पर राशि प्रदाय किया जा सकता है।)
- समूह का प्रबंधन समूह के नियमों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- समूह का बैंक में अपने नाम से एक बचत खाता होना चाहिए और लगातार बैंक से लेन–देन होना चाहिए।
- समूह की पुस्तकें नियमित रुप से लिखा जाना चाहिए। समूह मे एक प्रशिक्षित पुस्तक संचालक होना चाहिए, जिसका भुगतान समूह की आय से किया जाना चाहिए।
- समूह की ऋण वापसी 90 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
- समूह के सदस्यों को समूह प्रबंधन और लेन–देन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए।
- समूह के सदस्यों का समूह प्रबंधन पर कम से कम तीन दिवस का प्रशिक्षण होना चाहिए।
- समूह के प्रतिनिधियों को नियमित रूप से ग्राम संगठन की बैठक में भाग लेना चाहिए।

द्वितीय दिवस

प्रथम सत्र

विषय	:–	प्रथम दिवस के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन।
उद्देश्य	:–	पिछले दिन की सीख को दोहराने से आगामी मुददो पर चर्चा करने मे सहजता होगी।
सामग्री	:–	गेंद एवं घंटी।
पद्धति	:–	खेल।

सभी प्रतिभागियों को गोले मे खड़ा कर एक गेंद दी जायेगी। प्रशिक्षक घंटी बजाता रहेगा तब तक गेंद प्रतिभागी गोले मे पास करते रहेगे जब घंटी बजना बन्द हो जायेगी और गेंद जिस प्रतिभागी के हाथ मे होगी वह प्रतिभागी खेल से बाहर हो जायेगा। एवं उसे पिछले दिन की एक सीख बतानी होगी। इस प्रकार यह प्रकिया तब तक दोहराई जायेगी जब तक की सभी प्रतिभागी खेल से बाहर न हो जाये।

द्वितीय सत्र

विषय	:–	सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने की प्रक्रिया।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियो को सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने की प्रकिया की जानकारी होगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा, व्याख्यान।

विषय वस्तु :–

- स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी।
- सभी सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी।
- प्रत्येक परिवार के आय एवं व्यय की जानकारी।
- सदस्यों द्वारा चयनित गतिविधि की लागत एवं भुगतान तालिका की जानकारी।
- अतिगरीब परिवारों को उनकी आवश्यकता एवं गतिविधि हेतु प्राथमिकता मिलती है।
- शेष गरीब सदस्यों को क्रमानुसार द्वितीय सूची तैयार कर ऋण दिया जाता है।
- सूक्ष्म ऋण योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर करार किया जाता है, जो सदस्यों एवं स्वयं सहायता समूहों के मध्य, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के मध्य और ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन के मध्य होता है।

तृतीय सत्र

विषय	:–	स्वयं सहायता समूह हेतु सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियो को सूक्ष्म ऋण योजना हेतु आवेदन के प्रारूप के बारे में समझ विकसित होगा।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	प्रस्तुतीकरण एवं अभ्यास

विषय वस्तु :–

इस सत्र में स्वयं सहायता समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना तैयार कर सामुदायिक निवेश कोष की राशि हेतु आवेदन पत्र लिख कर संबंधित से मांग की जाती है। इसमें समूह का संक्षिप्त विवरण एवं आवश्यक मांग राशि का विवरण रहता है।

सामुदायिक निवेश कोष की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :– ''बिहान'' परियोजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूह हेतु सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) के लिये आवेदन पत्र।

महोदय,

हम..... (स्वयं सहायता समूह का नाम) के सदस्यों की साख वृद्वि एवं आजीविका सृजन गतिविधि हेतु अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा प्रदान करना चाहते है। इसके लिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत ऋण की आवश्यकता है। हमारे स्वयं सहायता समूह का विवरण निम्नलिखित है :

1. स्वयं सहायता समूह का नाम :.....
2. ग्राम का नाम : .....
3. समूह गठन की तिथि : .....
4. बैंक खाता सं. ..... बैंक का नाम .....
   शाखा का नाम ..... आईएफएससी कोड .....
5. पुस्तक संचालक का नाम : ..... मो. नं. .....
6. प्रथम श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) की दिनांक : .....
7. चक्रिय निधि (आर.एफ) प्राप्ति दिनांक : .....

8. समूह को ऋण की आवश्यकता :– .....

कुल आवश्यक राशि (रू.)	समूह सदस्यों द्वारा अंशदान राशि (रू.)	परियोजना से मांग की गई सीआईएफ राशि (रू.)

9. समूह सदस्यों को सूक्ष्म ऋण योजना अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदाय किया जायेगा।
10. समूह द्वारा परियोजना से प्राप्त राशि ग्राम संगठन को निर्धारित ब्याज सहित ऋण वापसी मासिक किस्तो में सुनिश्चित की जावेंगी एवं ग्राम संगठन द्वारा निर्धारित समस्त नियमों/प्रक्रियाओं का पालन किया जावेगा।

कृपया समूह को..... रू. का ऋण सामुदायिक निवेश कोष से उपलब्ध करवाने की कृपा करें। समूह इस राशि को वापसी नियोजन की मांग अनुसार लौटाने का वचन देते हैं।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर

दिनांक :– .....

चतुर्थ सत्र

विषय	:–	सूक्ष्म ऋण योजना हेतु स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियो को सूक्ष्म ऋण योजना के प्रथम चरण की जानकारी होगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा, अभ्यास।

विषय वस्तु :–

इस सत्र में स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी ली जाती है, जिससे वित्तीय संस्थान को समूह के सदस्यों की सामाजिक स्थिति एवं समूह में किये गए वित्तीय लेनदेन की स्थिति का पता चलता है। यह सदस्यों को एवं वित्तीय सहायता प्रदान करनें वाली संस्था को समूह के बारे में जानकारी (स्थिति) उपलब्ध कराने में सहायक होती है।

समूह का विवरण

1. समूह का नाम :.....
2. गाँव का नाम :.....ग्राम पंचायत का नाम .....
3. क्लस्टर का नाम :.....
4. समूह में सदस्यों कि संख्या : .....

अनु.जनजाति	अनुसूचित जाति	अपिव	सामान्य	अन्य	कुल

5. समूह का गठन दिनांक : .....
6. समूह का बैंक खाता विवरण :– .....

समूह का नाम	बैंक खाता क्र.	बैंक एवं शाखा का नाम	आईएफएससी कोर्ड

7. बैठकों का प्रकार : .....
8. बैठकों की संख्या : .....
9. सदस्यों कि उपस्थिति प्रतिशत : .....
10. बचत क्रम (साप्ताहिक/मासिक) : .....
11. सदस्यों की कुल बचत : .....
12. समूह को प्राप्त हुई अनुदान का विवरण : .....

13. समूह को प्राप्त ऋण का विवरण :

क्र.	संस्था का नाम	प्राप्त कुल ऋण राशि	भुगतान किया गया कुल राशि	अधिशेष राशि	शेष ऋण राशि

14. सदस्य के ऋण से प्राप्त हुआ ब्याज : .....
15. बैंक से प्राप्त ब्याज : .....
16. दण्ड शुल्क : .....
17. अन्य आय : .....
18. समूह का निधि (बचत, ब्याज, दण्ड, अनुदान): .....
19. समूह की अंतिम शेष राशि : नगद शेष ..... बैंक शेष .....
20. सदस्यों को दिये ऋण का विवरण :

सदस्यों को कुल ऋण वितरण	सदस्यों द्वारा वापस की गई ऋण राशि	अधिशेष राशि	शेष ऋण राशि

21. समूह से सदस्यों को दिये गये कुल ऋणों कि संख्या : .....
22. समूह से सदस्यों को दिये गये कुल ऋण कि राशि : .....
23. औसत ऋण संख्या = $\frac{\text{कुल ऋण की संख्या}}{\text{कुल सदस्य संख्या}}$: .....
24. उधार वसूल का प्रतिशत = $\frac{\text{उधार वापसी X 100}}{\text{मांग राशि}}$: .....

पंचम सत्र

विषय	:–	सूक्ष्म ऋण योजना हेतु सदस्यों की सामाजिक जानकारी।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियों को सूक्ष्म ऋण योजना के दूसरे चरण की जानकारी होगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	प्रतिभागियों को प्रपत्र समझाना एवं रोल प्ले।

रोल प्ले –

प्रतिभागियों में से 5 प्रतिभागी का एक छोटा समूह बनाना एवं एक पुस्तक संचालक का चिन्हांकन करना। तदुउपरांत पुस्तक संचालक द्वारा उस समूह के सदस्यो से प्रपत्र की जानकारी पूछ कर प्रपत्र मे भरा जायेगा। इस प्रक्रिया को अन्य प्रतिभागीयो द्वारा अवलोकन किया जायेगा। इस प्रक्रिया द्वारा प्रतिभागी यह समझ सकेंगे कि सदस्यों से किस प्रकार प्रश्न पूछने से सही एवं पूर्ण जानकारी मिल सकेगी।

विषय वस्तु :–

1. सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्य एक साथ बैठकर पुस्तक लिखने वाले की सहायता से सामाजिक जानकारी प्राप्त करेगें।
2. यह सदस्यों को तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को समूह की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी प्रदान करने में सहायक होती है।
3. पदाधिकारियों को सभी सदस्यों से आपसी चर्चा करके प्रारूप में जानकारी लिखने वाले की मदद से तैयार करनी चाहिए।

समूह सदस्य के परिवार की सामान्य जानकारी

सदस्य का नाम	उम्र	जाति	शिक्षा	काम/व्यवसाय	सदस्यों के परिवार का विवरण				मकान		जमीन		पशु संपत्ति						परिवार का अन्य विवरण				गरीबी कि स्थिति			
					बच्चे		वयस्क																			
					बालिका	बालक	महिला	पुरुष	झोपड़ी/कच्चा	पक्का	सिंचित	असिंचित	गाय	बैल	भैंस	बकरी	भेड	अन्य	राशन कार्ड	अकेली महिला	विकलांग	परिवार नियोजन	अति गरीब	गरीब	मध्य वर्ग	अमीर

षष्ठम सत्र

विषय	:–	सदस्यों का व्यक्तिगत आय–व्यय का विवरण।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियों को सूक्ष्म ऋण योजना के तीसरे चरण की जानकारी होगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा, प्रपत्र पर अभ्यास।

प्रपत्र भरने का तरीका – प्रशिक्षक द्वारा निम्न दो प्रक्रिया अपनाई जायेगी –

- एक सदस्य से प्रश्न पूछ कर प्रपत्र को भरा जायेगा।
- दूसरे सदस्य से उसके पति के साथ प्रश्न पूछ कर प्रपत्र भरा जायेगा।
- उक्त प्रक्रिया का शेष सभी प्रतिभागियों द्वारा अवलोकन किया जायेगा। प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों से पूछा जायेगा कि कौन सी प्रक्रिया अधिक सार्थक है।

विषय वस्तु :–

- समूह के सभी सदस्य समूह की बैठक में एक साथ बैठेंगें और सदस्यों के अनुसार आय एवं व्यय का विवरण तैयार करेंगें।
- इस विवरण में विस्तृत रूप से आर्थिक समस्या, ऋणग्रस्तता एवं गरीबी की स्थिति की जानकारी एकत्रित की जाएगी।
- इससे आय के स्त्रोत और परिवार के विभिन्न फिजूल खर्च का विवरण भी प्राप्त होगा जैसे शराब, बीड़ी, जुआ, इत्यादि।
- आय–व्यय के अंतर से परिवार पर प्रभाव।
- परिवार स्तर पर यह विवरण गरीबों के बीच आर्थिक श्रेणीकरण में मदद करेगा जैसे अतिगरीब, गरीब, माध्यम तथा संपन्न।

सदस्यो की आय एवं व्यय विवरण (एक वर्ष)

स्व-सहायता समूह का नाम .....
ग्राम का नाम .....
ग्राम संगठन का नाम .....
ग्राम पचांयत .....
संकुल का नाम .....

क्र	सदस्य का नाम	पिता/पति	आय										व्यय														
			कृषि	मजदूरी	व्यवसाय	नौकरी	कारीगारी	पशुपालन	ऋण एवं अग्रिम	बैंक(निजि)	अन्य	योग	भोजन	कपडा	शिक्षा	स्वास्थ्य	नशा	यात्रा व्यय	कृषि निवेश	त्यौहार खर्च	पशुपालन	कर्ज भुगतान	आजिविका खर्च	कृषि	अन्य	योग	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											

सप्तम सत्र

विषय	:–	समूह सदस्यो की ऋण योजना।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियो को सूक्ष्म ऋण योजना के चौथे चरण की जानकारी होगी।
समग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा, प्रपत्र पर अभ्यास।

<u>प्रपत्र भरने का तरीका</u> – प्रशिक्षक द्वारा निम्न दो प्रक्रिया अपनाई जायेगी –

- एक सदस्य से प्रश्न पूछ कर प्रपत्र को भरा जायेगा।
- दूसरे सदस्य से उसके पति के साथ प्रश्न पूछ कर प्रपत्र भरा जायेगा।
- उक्त प्रक्रिया का शेष सभी प्रतिभागियों द्वारा अवलोकन किया जायेगा। प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों से पूछा जायेगा कि कौन सी प्रक्रिया अधिक सार्थक है।

विषय वस्तु :–

<u>समूह सदस्यो की ऋण योजना</u>

- सूक्ष्म ऋण योजना तैयार कर सदस्यो के अनुसार गतिविधि प्रस्तावित किया जावेगा।
- गतिविधि का वित्तीय लागत एवं भुगतान का विवरण, आय एवं व्यय के आधार पर तैयार कर, सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्य सूक्ष्म ऋण योजना को अंतिम रूप देगे।
- इसके लिए सदस्य पहले अपने परिवार स्तर पर सदस्यों के साथ चर्चा करेगा।
- उनकी व्यक्तिगत गतिविधि, अनुमानित लागत, सदस्यों का योगदान, अनुमानित आय, प्रस्तावित गतिविधि से भुगतान तालिका के बारे मे परिवार योजना तैयार करने के बाद सूक्ष्म ऋण योजना को अंतिम रुप देगे।

समूह सदस्यों की सूक्ष्म ऋण योजना

सदस्य का नाम	पिता/ पति का नाम	ऋण का उद्देश्य/ गतिविधि	गतिविधि के लिये आवश्यक कुल राशि	सदस्य का अंशदान	समूह से लिए जाने वाले ऋण की राशि	गतिविधि से मासिक आय	मासिक व्यय	गतिविधि से मासिक लाभ	वापसी करने का विधान			प्राथमिकीकरण
									मूलधन	ब्याज	कुल	

तृतीय दिवस

प्रथम सत्र

विषय :– द्वितीय दिवस के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन।
उद्देश्य :– सत्र से पिछले दिन की मुख्य सीख को दोहराने से आगामी मुददो पर चर्चा करने मे सहजता होगी।
समग्री :– गेंद एवं घंटी।
पद्धति :– खेल

सभी प्रतिभागियो को गोले मे खडा कर एक गेंद दी जायेगी। प्रशिक्षक घंटी बजाता रहेगा तब तक गेंद प्रतिभागी गोले मे पास करते रहेगे। जब घंटी बजना बन्द हो जायेगी और गेंद जिस प्रतिभागी के हाथ मे होगी, वह प्रतिभागी खेल से बाहर हो जायेगा। उसे पिछले दिन की एक सीख बतानी होगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी, जब तक की सभी प्रतिभागी खेल से बाहर न हो जाये।

द्वितीय सत्र

विषय :– स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन, प्रपत्र
उद्देश्य :– सत्र से प्रतिभागियों को स्वयं सहायता समूह के ग्रेडिंग एवं मूल्यांकन सूचकांकों की जानकारी प्राप्त होगी
समग्री :– चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति :– सहभागी चर्चा।

विषय वस्तु :–

स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश कोष दिये जाने हेतु उसके ग्रेडिंग की आवश्यकता होगी। ग्रेडिंग के आधार पर अच्छे अंक आने वाले स्वयं सहायता समूह को ही सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त करने की पात्रता होगी। ग्रेडिंग हेतु निम्नानुसार प्रपत्र का उपयोग किया जावेगा।

स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन दिनांक :-

समूह का नाम :- .....

समूह का गठन दिनांक :- .....

बचत खाता नंबर :- .....

बैंक एवं शाखा का नाम :- .....

क्र0सं0		ग्रेडिंग संकेतक	पूर्णांक	प्राप्तांक
1.	बैठक संख्या	अ. माह में 4 बैठक-10 अंक	10	
		ब. माह में 2 बैठक-6 अंक		
		स. माह में 1 बैठक-2 अंक		
2.	उपस्थिति	अ. 90% से अधिक-10 अंक	10	
		ब. 71% से 89 :-8 अंक		
		स. 70% से कम -5 अंक		
3.	बचत जमा	अ. माह में 4 बार -10 अंक	10	
		ब. माह में 2 बार -6 अंक		
		स. माह में 1 बार -2 अंक		
4.	आंतरिक ऋण वापसी	अ. 99 से 100 % -10 अंक	10	
		ब. 95 से 98 % -8 अंक		
		स. 94 % से कम-0 अंक		
5.	ग्राम संगठन को ऋण वापसी	अ. 100 %-10 अंक	10	
		ब. 95 % से अधिक -8 अंक		
		स. 94 % से कम -0 अंक		
6.	बैंक ऋण की समय से वापसी	अ. 100 % -10 अंक	10	
		ब. 95 % से अधिक -8 अंक		
		स. 94 % से कम -0 अंक		
7.	समूह सदस्यों को नया ऋण वितरण	अ. माह में 4 से अधिक-10 अंक	10	
		ब. माह में 2 से 3 बार -5 अंक		
		स. माह में 2 से कम -0 अंक		
8	बैंक बचत खाते में शेष राशि	अ. 2000 से कम -10 अंक	10	
		ब. 2000 से 5000 तक-5 अंक		
		स. 5000 से अधिक-0अंक		
9	हाथ में शेष राशि	अ. 1000 से कम -10 अंक	10	
		ब. 1000 से 2000 तक-5 अंक		
		स. 2000 से अधिक -0 अंक		
10	पुस्तकों का लेखा संधारण	अ. सभी पुस्तके अपडेट होने पर -10 अंक	10	
		ब. 4 पुस्तक अपडेट होने पर -5 अंक		
		स. 3 पुस्तकों से कम अपडेट होन पर-0 अंक		
कुल अंक			100	

क्र.संख्या	मूल्यांकन पैरा मीटर	पूर्णांक	प्राप्त ग्रेड
1	81 से 100	A	
2	71 से 80	B	
3	61 से 70	C	
4	60 या उससे कम	D	

नोट :- पैरामीटर संख्या 5 एवं 6 में यदि समूह को ग्राम संगठन या बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हुआ है उस अवस्था में कुल प्राप्तांक 80 या 90 में से प्राप्त अंको के आधार पर प्रतिशत निकालकर ग्रेड दिया जायेगा।

मूल्यांकन करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर

तृतीय सत्र

विषय :— मूल्यांकन समिति द्वारा समूह आवेदन का परीक्षण
उद्देश्य :— सत्र में प्रतिभागियों को स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश कोष प्रदाय किये जाने से पूर्व आवेदन पत्र के परीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त होगा
सामग्री :— कार्ड शीट, प्रपत्र।
पद्धति :— सहभागी चर्चा

मूल्यांकन समिति द्वारा समूह आवेदन का परीक्षण

मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक ..... को स्वयं सहायता समूह ..... ग्राम ..... क्लस्टर ..... गठन दिनांक ..... मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन समिति द्वारा समूह को सामुदायिक निवेश कोष से राशि रू. ..... शब्दों में (..... .....) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :—

मूल्यांकन समिति के नाम

1. ..... हस्ताक्षर .....
2. ..... हस्ताक्षर .....
3. ..... हस्ताक्षर .....

उपरोक्त स्वयं सहायता समूह से प्राप्त आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं सामुदायिक निवेश कोष से राशि रू. ..... (शब्दों में .....) समूह के बैंक खाता क्रमांक ..... बैंक शाखा .....में हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया जाता है।

दिनांक :—

सक्षम पदाधिकारी/अधिकारी

ग्राम संगठन/क्लस्टर संगठन/जनपद पंचायत (बीएमएमयू)

जिला :— .....

चतुर्थ सत्र

विषय :– अनुबंध प्रपत्र

उद्देश्य :– सत्र में प्रतिभागियों को स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त करने पर उसके उपयोग एवं भुगतान हेतु किये जाने वाल अनुबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होगा।

सामग्री :– चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।

पद्धति :– सहभागी चर्चा।

अनुबंध प्रपत्र

समूह एवं सदस्यों के बीच :-

स. क्र.	विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर	
1	लिए हुए ऋण का उद्देश्य के अनुसार उपयोग करूंगी		
2	लिए हुए ऋण का आय मूलक गतिविधियों में उपयोग करूंगी		
3	15 दिनों के अंदर समाग्री खरीदना सुनिश्चित करूंगी नही तो समूह को पूरा पैसा वापस करूंगी		
4	खरीदी गई समाग्री को जांच समिति को दिखाऊंगी		
5	खरीदी गई संपती का बीमा कराउंगी		
6	ऋण का भुगतान वापसी नियोजन अनुसार करूंगी		
7	समूह के सभी नियामों का पालन करूंगी		
8	खरीदी गई संपती को ऋण पूरा होने तक नहीं बेचूंगी		

समूह और ग्राम संगठन/क्लस्टर संगठन/जनपद पंचायत के मध्य अनुबंध

द्वितीय पक्षकार	प्रथम पक्षकार
समूह का नाम ..... गांव का नाम ..... जनपद का नाम ..... बैंक खाता संख्या .... बैंक एवं खाता का नाम .... अध्यक्ष का नाम	ग्राम /क्लस्टर संगठन/जनपद पंचायत का नाम .... प्रतिनिधि का नाम .... पता ....

अनुबंध की शर्तें

1. सूक्ष्म ऋण योजना में दर्शित गतिविधियों में ही राशि का उपयोग करेंगे।
2. खरीदी गई संपत्ति को जांच समिति को दिखायेंगे।
3. संपत्तियों का बीमा करावाएंगे।
4. लिए गए ऋण को वापसी नियोजन अनुसार प्रति माह वापस करेंगे।
5. ग्राम संगठन/क्लस्टर संगठन के सभी नियमों का पालन करेंगे।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष मोहर सहित

अध्यक्ष स्वयं सहायता समूह

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष मोहर सहित

अध्यक्ष/सीईओ

ग्राम संगठन/क्लस्टर संगठन/जनपद पंचायत

दिनांक :- .....

गवाह

1. .....

2. .....

दिनांकः-.....

पंचम सत्र

विषय	:–	एमसीपी मास्टर ट्रेनर हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।
उद्देश्य	:–	सत्र में प्रतिभागियों को एमसीपी ट्रेनर हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगा।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा।

एमसीपी ट्रेनर हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

संकुल का नाम ..... ब्लॉक का नाम .....
स्वयं सहायता समूह का नाम ....
प्रमाणित किया जाता है कि निम्न एमसीपी मास्टर ट्रेनर–

1. ..... मोबाईल नं. .....
2. ..... मोबाईल नं. .....

द्वारा हमारे ग्राम में दिनांक ..... से दिनांक ..... तक हमारे समूह को सूक्ष्म ऋण योजना पर सघन प्रशिक्षण प्रदान कर समूह का सूक्ष्म ऋण योजना (एससीपी) का आवेदन पत्र तैयार करने में सहायोग प्रदान किया गया है।

दिनांक :– .....

हस्ताक्षर अध्यक्ष
(सील/मोहर)

हस्ताक्षर सचिव
(सील/मोहर)

षष्ठम सत्र

विषय	:–	सूक्ष्म ऋण योजना बनाते समय अपनायी जाने वाली सावधानियाँ।
उद्देश्य	:–	सत्र से प्रतिभागियों को सूक्ष्म ऋण योजना बनाते समय किन सावधानीयों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी समझ बनेगी।
सामग्री	:–	चार्ट एवं मार्कर।
पद्धति	:–	सहभागी चर्चा

विषय वस्तु :–

अ सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए –

1. स्वयं सहायता समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने के पूर्व ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन को सूचित किया जाना चाहिए।
2. सूक्ष्म ऋण योजना स्वयं सहायता समूह एवं परिवार के साथ चर्चा करने के पश्चात् उसे अंतिम रुप देना चाहिए।
3. स्वयं सहायता समूह के सदस्य केवल योजना तैयार करेंगे तथा पुस्तक लिखने वाले कर्मचारी की सहायता इसे दस्तावेज का रूप देंगें।
4. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से प्रस्तावित गतिविधि, वित्तीय लागत एवं भुगतान के बारे में जानकारी होनी चाहिये।
5. स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी को ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित रहना चाहिए तथा सूक्ष्म ऋण योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए।
6. संकुल संगठन की सामान्य सभा की बैठक में ग्राम संगठन व स्वयं सहायता समूह के दो–दो प्रतिनिधियों को सूक्ष्म ऋण योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।
7. सूक्ष्म ऋण योजना में सदस्यों की सभी आवश्यकताऐं, आय वृद्धि योजना , शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आवश्यकताऐं प्रतिबिंबित होनी चाहिए।
8. सूक्ष्म ऋण योजना की शतों के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण का उपयोग करना चाहिए।

ब. सूक्ष्म ऋण योजना बनाते समय क्या नही करना चाहिए –

1. सूक्ष्म ऋण योजना प्रशिक्षक और समूह के सदस्य के प्रशिक्षण के बिना तैयार नही करनी चाहिए।
2. स्वयं सहायता समूह को पारिवारिक विचार विमर्श के बिना सूक्ष्म ऋण योजना तैयार नही करनी चाहिए।
3. सूक्ष्म ऋण योजना समूह सदस्यों से परामर्श किए बिना स्वयं कर्मचारियों (जैसे सामुदायिक संवर्ग, क्षेत्रिय समन्वयक, ए.डी.ई.ओ. इत्यादि) द्वारा तैयार नही करना चाहिए।
4. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को राशि समान रूप से वितरीत नही करनी चाहिए, बल्कि सदस्यों के योजना के अनुसार राशि वितरित करनी चाहिए।
5. सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण को दूसरे उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नही लाना चाहिए।

चतुर्थ, पंचम, षष्ठम दिवस

क्षेत्र अभ्यास कार्यक्रम

सप्तम दिवस

सत्र

विषय :– सूक्ष्म ऋण योजना का प्रस्तुतिकरण।
उद्देश्य :– प्रतिभागियों द्वारा तैयार किये गये सूक्ष्म ऋण योजना पर समझ बनाना।
सामग्री :– चार्ट एवं मार्कर।
पद्धति :– प्रस्तुतिकरण, सहभागी चर्चा।

विषय वस्तु :–

प्रतिभागियों द्वारा क्षेत्र में तैयार किये गये सूक्ष्म ऋण योजना का प्रस्तुतिकरण प्रशिक्षक के समक्ष करना एवं प्रशिक्षक द्वारा उक्त सूक्ष्म ऋण योजना में आवश्यक सुधार करवाते हुए शंका समाधान करना।

सत्र

विषय :– पुनरावलोकन एवं मूल्यांकन।
उद्देश्य :– प्रशिक्षण में प्राप्त सीख का पुनरावलोकन एवं प्रशिक्षण का मूल्यांकन।
सामग्री :– चार्ट, मार्कर, प्रपत्र।
पद्धति :– सहभागी चर्चा।

प्रशिक्षक सहभागी पद्धति के माध्यम द्वारा प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में प्राप्त सीख के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनरावलोकन करने का प्रयास करेंगें। पुनरावलोकन के दौरान प्रशिक्षक प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं और प्रशिक्षण के उद्देश्य वाले चार्ट पेपर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगें तथा प्रतिभागियों से उनकी प्रशिक्षण से अपेक्षाओं की पूर्ति तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रश्न कर उनकी संतुष्टि के स्तर को जानने का प्रयास करेंगें।
प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण आंकलन पत्रक (फीडबैक फार्म) उपलब्ध करा कर सभी से प्रशिक्षण के फीडबैक हेतु अनुरोध करेंगें। सभी प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक फार्म भरे जाने का बाद प्रशिक्षक भरे हुए प्रारूपों को एकत्र करेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आभार प्रदर्शन करेंगे। समूहगान के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करेंगे।

प्रशिक्षण आंकलन पत्रक (फीडबेक फार्म)

1. प्रशिक्षण पठन सामग्री मे शामिल की गई विषय वस्तु उपयोगी है ?

अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

2. सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने की दृष्टिकोण से यह प्रशिक्षण सामग्री पर्याप्त है ?

अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

3. प्रशिक्षण हेतु उपयोग की जा रही पद्वति आपको कैसी लगी ?

अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

4. प्रशिक्षण से आपकी सूक्ष्म ऋण योजना संबंधी जानकारी पूर्ण हो गई ?

अ. पूर्ण ☐ ब. आंशिक ☐ स. नही ☐

5. प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया समय पर्याप्त है या नही ?

अ. पर्याप्त ☐ ब. बढाना चाहिए ☐ स. कम करना ☐

6. प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण देने का तरीका कैसा लगा ?

अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

7. इस प्रशिक्षण की बैठक व्यवस्था कैसी लगी ?

अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

8. प्रशिक्षण पठन सामाग्री मे कुछ और विषय वस्तु को जोडना उचित होगा यदि हॉ तो नीचे विवरण दे।

.....
.....
.....

9. इस प्रशिक्षण को और बेहतर तरीके से आयोजित करने हेतु आपके सुझाव।

.....
.....
.....

टिप्पणीः– कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही (✓) का निशान लगावे।

प्रतिभागी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामाग्री

1. कार्ड शीट (चार्ट)
2. मार्कर
3. सेलोटेप
4. कैंची / कटर
5. स्केच पेन / मार्कर
6. रजिस्टर
7. गेंद
8. घंटी
9. प्रपत्रों की छायाप्रति
10. पेन, पेसिंल, शार्पनर, रबर, स्केल
11. नोटपेड / कॉपी
12. फलैक्स / बैनर